चोरी की घटना का चार घंटे में खुलासा कर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया

डाबी (निसं)। डाबी पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुये एक महिला आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है।

जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव द्वारा समस्त यानाधिकारीगण को चोरी की वारदात नकवजनी व सम्पत्ति संबंधि अपराधों को रोकने हेतु प्रभावी गस्त घीटित वारदातों को तुरुन्त खोलने के निर्देश दिये हुये हैं।

इस पर थाना डाबी पर हुई बड़ी चोरी की घटना की सूचना को गम्भीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल आरपीएसबके मार्गदर्शनाधिकारी और वृत बुन्दी हेमन्त कुमार सुपरविजन में थाना प्रभारी डाबी थी राजेन्द्र सिंह चौधरी न उ.नि. ने थाना की टीम की मुस्तैदी से चोरी की वारदात के तुरन्त बाद ही कड़ी मेहनत व लगन से कार्य करते हुये चोरी की घटना का खुलासा गया कर एक महिला को डिटेन कर बाद गिरफ्तार किया चोरी के लगभग 10 लाख रुपये कीमत का माल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

डाबी पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुये एक महिला आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है।

- **10 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात बरामद**
- **महिला आरोपी प्रेम बाई गिरफ्तार**

पटना का विवरण फरियादी अन्जू पत्नी हंसराज जाति गुर्जर निवासी कवरपुरा थाना डाबी बालाजी चौक डाबी बना डाबी जिला बून्दी ने 24 मई 2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई की कि मैंने मेरे पड़ोस में रहने वाली प्रेम बाई यादव को मेरी समस्या बताई तो प्रेम बाई ने मेरे से कहा कि मैं तेरा इलाज करवा दूंगी तो मेने कहा कि करवा दो फिर प्रेम बाई ने मुझे कुछ नींबू लच्छा दिया था, तथा कुछ खाने का भी दिया था।

फिर प्रेम बाई मुझे खाने की चीज खिलाकर मेरे सोने कि बजटी, सोने के झुमके काली के कानों के सोने टोपीस, सोने का मान्दलीया चादी की कनकती की एक सोने का मंगलसूत्र ओर चांदी की तोड़िया, एक सोने को कि चैन एक लाख बीस हजार रुपये नगद ले गई तथा मुझे कोई पावडर जैसी चीज खिलाती थी। जिससे मुझे होश नहीं रहता था इत्यादी पर प्रकरण से 100/22 धारा 379 ता.हि. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान व तलाश माल मुल्जिम प्रारम्भ किया गया।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेन्द्र सिंह उ.नि. थाना डाबी गठित टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए माल मुल्जिम की तलाश शुरू की गई। घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों से सन्दिग्ध महिला के रहन सहन व क्रियाकलाप के बारे में जानकारी 24 मई 22 को ही प्रेमवाई पछि स्व हरी यादव को डिटेनकी गयी तथा पूछताछ करने पर प्रेम बाई ने उक्त पढ़ना स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर बाद पूछताछ गिरफ्तार महिला की सूचना पर लगभग 10 लाख रुपये कीमत के सोना-चांदी के जेवरात बरामद किये गये प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

छबड़ा एडीजे प्रीति नायक ने उपकारागृह का निरीक्षण किया

छबड़ा, (निसं)। अपर जिला एवं सेषन न्यायाधीष प्रीति नायक ने बुधवार को उपकारागृह का मासिक निरीक्षण किया, यहां वह बंदियों की समस्याओं से रूबरू हुई। निरीक्षण के दौरान जेलर द्वारा बंदियों को षिक्षित करने के उद्देष्य से षिक्षा प्रदान करने की बात सामने आने पर एडीजे ने जेलर के इस कार्य की प्रषंसा की।

तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव हनुमान सहाय मीना के अनुसार निरीक्षण के दौरान उपस्थित जेलर सुरेंद्रसिंह सिसोदिया ने एडीजे प्रीति नायक को बताया कि उपकारागृह में पांच बंदी जितेंद्र, भगवान, मोतीराम, नारायण और मेघराज दो-तीन वर्ष पूर्व यहां आए थे, तब ये अंगूठा लगाते थे और इन सभी को बिल्कुल भी लिखना-पढ़ना नही आता था। लेकिन जेलर द्वारा इनको शिक्षा अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि आपको सबजेल में रहते हुए भी शिक्षा मिल सकती है। जिसके लिए सबजेल में पढ़ाई शुरू करवाई गई।

अब ये सभी बंदी अंगूठे की जगह अपने हस्ताक्षर करने लगे हैं और जेल में रोज सुबह अखबार भी पढते है। साथ मे कहानियां, ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं आदि की किताबें भी पढ़ते हैं। मौके पर इनसे अखबार पढ़वाया तो सभी ने बडी आसानी से अखबार पढ दिया। एडीजे ने इस पर प्रषंसा की ओर जेलर को आगे भी इसी तरह से बंदियों को शिक्षित करने की बात कही। सुबह बंदियों को योग भी कराया जाता हैं। इससे पूर्व एडीजे नायक ने प्रत्येक बंदी से भोजन-पानी एवं समस्या के बारे में पूछा तो बंदियों ने बताया कि भोजन एवं पानी पर्याप्त मिल रहा है और उन्हे पोश्टिक खाना दिया जा रहा है। शिकायत पेटी को खोल कर देखा तो उसमें कोई शिकायत नहीं मिली। निरीक्षण के दौरान परिसर में कुछ स्थानों पर पानी फैला हुआ था जिसके लिए जेलर को साफ-सफा के लिए निर्देषित किया। सबजेल में को महिला बंदी नहीं है और ना ही को अव्यस्क बंदी है। निरीक्षण के दौरान 88 बंदी मौके पर मिले।

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2022-23/924 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक:-25.5.22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखंडधारी/आवेदक श्री ब्रिजेन्द्र कुमार धैया पिता श्री बंशीलाल धैया निवासी रावतभाटा ने आवेदन प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा द्वारा नीलामी दिनांक 01.02.2017 को विक्रयशुदा आवासीय भूखंड संख्या 86 (कॉर्नर) श्रेणी (स) साईज (30x60) क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट अर्थात 167.29 वर्गमीटर श्रीगणेश नगर आवासीय योजना रावतभाटा के पुनः विक्रय की अनापत्ति चाही गयी है।

प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखंड पालिका द्वारा नीलामी दिनांक 01.02.2017 अंतर्गत आवेदक श्री ब्रिजेन्द्र कुमार धैया पिता श्री बंशीलाल धैया निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया था, जिसकी लीज डीड इस मूल क्रेता के पक्ष में क्रमांक 121 दिनांक 28.04.2017 एवं पंजीयन दिनांक 30.06.2017 से जारी की गई है।

चूंकि इस भूखंड पर निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण नहीं किए जाने से भूखंड खाली पर विभागीय आदेशानुसार व साथ ही इस भूखंड के विक्रय को 10 वर्ष पूर्ण नहीं होने से विभागीय नियमानुसार पुनः विक्रय हेतु लेवी राशि लिया जाकर विक्रय अनुमति जारी किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त भूखंड को पुनः विक्रय करने की पालिका द्वारा अनुमति दी जाने पर किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 457 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 6.5.22

आवास संख्या 3-क्यू-16 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा सुश्री कमला देवी विजय पुत्री श्री श्यामा लाल विजय को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री मांगीलाल शर्मा के नाम दिनांक 22.07.1997 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री मांगीलाल शर्मा द्वारा दिनांक 23.09.1997 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरान्त श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री मांगीलाल शर्मा द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 01.03.2007 को श्री सतीश चन्द्र गौत्तम पुत्र श्री सुन्दर लाल शर्मा को अपना मुख्तार आम धारक नियुक्त किया गया। श्री सतीश चन्द्र गौत्तम पुत्र श्री सुन्दर लाल शर्मा द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 11.05.2007 को श्रीमती चन्द्रकला गौत्तम पत्नी श्री सतीश चन्द्र गौत्तम को किया गया। श्रीमती चन्द्रकला गौत्तम पत्नी श्री सतीश चन्द्र गौत्तम द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 21.08.2008 को श्री मनोहर लालवानी पुत्र श्री वीरुमल लालवानी को अपना मुख्तार आम धारक नियुक्त किया गया। श्री मनोहर लालवानी पुत्र श्री वीरुमल लालवानी द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.02.2022 को श्रीमती रजनी लालवानी पत्नी श्री मनोहर लालवानी को किया गया। श्रीमती रजनी लालवानी पत्नी श्री मनोहर लालवानी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में अपने नाम विक्रय पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रजनी लालवानी पत्नी श्री मनोहर लालवानी के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रजनी लालवानी पत्नी श्री मनोहर लालवानी का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रजनी लालवानी पत्नी श्री मनोहर लालवानीके नाम दर्ज कर दिया जावेगा। उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

सार-समाचार

दो मकानों से आभूषण व नगदी चोरी

छबड़ा (निसं)। कस्बे के साथ-साथ अब ग्रामीण अंचल मे चोर घरों को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं, इसके चलते मंगलवार रात को परोलिया गांव मे अज्ञात चोरो ने दो मकानो मे से कीमती सोने-चांदी के आभूशण व नगदी चुरा ली। वहीं दो स्थानो पर चोरी का प्रयास विफल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच षुरू कर दी हैं। पुलिस सूत्रो के अनुसार मंगलवार रात को अज्ञात चोरो ने परोलियां गांव मे कमलेष भार्गव के मकान से सोने-चांदी के कीमती जेवरात, 6 हजार रूपए की नगदी सहित घरेलू सामान चुरा लिए। साथ ही, चोरो ने मेघराज मीणा के घर मे ऐंडा लगाकर चांदी व कानो के टॉप्स आदि जेवरात एवं नौ हजार रूपए की नगदी के साथ-साथ 13 किलो की घी की केन को चुराकर भाग निकले। इससे पूर्व चोरो ने निपानियां गांव व मन्नू मीणा के मकान मे चोरी का प्रयास किया परंतु वे विफल रहें।

चाकूबाजी का एक आरोपी गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। कस्बे में गत दो दिन पूर्व रूपयों के लेन-देन को लेकर युवक के साथ हुई चाकूबाजी की घटना मे पुलिस ने मुख्य आरोपी को न्यायालय मे पेष किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वही, इस मामले मे एक बाल अपचारी को भी बारां न्यायालय मे पेष कर निरूद्ध किया गया। पुलिस सूत्रो के अनुसार कडैयाबन निवासी रवि सुमन को गुगोर रोड़ पर चाकू मारकर घायल कर दिया था। इस मामले मे पुलिस ने एजाज नगर निवासी राजा खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से अभिरक्षा में भिजवा दिया।

प्रगति समीक्षा बैठक 31 को

झालावाड़, (निसं)। राजीव गांधी जल संचय योजना प्रथम चरण एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित की अध्यक्षता में 31 मई को दोपहर 3 बजे मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बी.टी. द्वारा दी गई।

तीन दिवसीय उर्स जारी

छबड़ा (निसं)। कस्बे की पहाडी पर स्थित हज़रत बाबा मलंग शाह, हज़रत बाबा सब्जअली शाह व हज़रत बाबा अता मोहम्मद का सालाना तीन दिवसीय उर्स सोमवार से जारी है।

करोना संक्रमण से चौदह दिन बाद एक और मौत हुई राजस्थान में

- **राज्य में इससे पहले 10 मई को अजमेर में एक संक्रमित की मृत्यु हुई थी**
- **प्रदेश में बुधवार को थोड़ी गिरावट के बाद 57 नए संक्रमित मिले, इनमें 31 रोगी जयपुर में पाए गए हैं।**
- **राज्य में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 495 हो गए हैं।**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में बुधवार को चौदह दिन बाद फिर करोना से एक और संक्रमित की मौत हुई है। हालाकि इस बीच राज्य में थोड़ी गिरावट के बाद 57 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 52 मरीज ठीक होने के साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 495 हो गए हैं।

राजधानी जयपुर में बुधवार को करोना संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई है। इससे पहले 10 मई को अजमेर में एक संक्रमित की मृत्यु हुई थी। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9555 लोगों की जान जा चुकी है। इधर पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश के 8 जिलों में 57 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को 71 रोगी पाए गए थे। वहीं आज राजधानी जयपुर में भी नए संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। इस दौरान जिले में 31 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 10, अजमेर में 5, जोधपुर व उदयपुर में 3-3, बीकानेर व सीकर में 2-2 तथा गंगानगर में 1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 25 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

प्रदेश में बुधवार को फिर नए संक्रमितों के मुकाबले रिकवर कम हुई है। इस दौरान 52 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस बीमारी से 12 लाख 75 हजार 303 लोग स्वस्थ्य हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 495 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 264 मामले जयपुर में है।

24-जगतपुरा व विद्याधर नगर में 5-5 नए संक्रमित मिले

राजधानी जयपुर में बुधवार को सबसे ज्यादा जगतपुरा और विद्याधर नगर में 5-5 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा वैशाली नगर में 4, सोड़ाला में 3 तथा जामड़ोली, अजमेर रोड, बनीपार्क, ब्रह्मपुरी, झोटवाड़ा, खातीपुरा, कोटपूतली, मालवीय नगर, मानसरोवर, सांभर, सांगानेर और टोंक रोड इलाके में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच जिले में 24 मरीज ठीक हुए हैं।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक : LU2012/KOT/2022-23/100389 **लोक सूचना** दिनांक : 25.05.2022

श्री DEEPAK RAJVANSHI पुत्र श्री LATE SHRI BRAJNANDAN RAJWANSHI जाति MAHAJAN निवासी 2-A-8 TALWANDI, KOTA RAJASTHAN 324005 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	हनुवंत खेड़ा, लाडपुरा (कोटा)	SMT. RUBAB BARAR D/O DALVEER SINGH W/O SATPREET SINGH BARAR JAATI SIKH R/O GURUNANK KRASHI FARM MAHALAXMI ENCLAVE KE SAMNE MANPURA, BARAN ROAD, KOTA	55	11500	1.15
2.	हनुवंत खेड़ा, लाडपुरा (कोटा)	SMT. RUBAB BARAR D/O DALVEER SINGH, W/O SATPREET SINGH BARAR JAATI SIKH R/O GURUNANK KRASHI FARM MAHALAXMI ENCLAVE KE SAMNE MANPURA, BARAN ROAD, KOTA	333/317	3900	0.39
3.	हनुवंत खेड़ा, लाडपुरा (कोटा)	SH. SUKHVINDER SINGH S/O HARNEK SINGH, JAATI SIKH R/O GURUNANK KRASHI FARM MAHALAXMI ENCLAVE KE SAMNE MANPURA, BARAN ROAD, KOTA	334/317	4500	0.45
				कुल	1.99

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25.05.2022 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा

हत्याकांड मामले में 5 साल बाद भी सीबीआई ने हाईकोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं की

- **अदालत ने बलकेश मीणा हत्याकांड में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की**

जयपुर, (का.सं.)। बलकेश मीणा हत्याकांड में सीबीआई ने जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल नहीं की। इस पर हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। मृतक के भाई सुरेश मीणा की ओर से याचिका प्रस्तुत की गई थी और 2017 में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को दी थी लेकिन 5 साल बाद भी न्यायालय में चार्जशीट फाइल नहीं की गई।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी न्यायालय में बहस करते हुए बताया कि अप्रैल 2016 में बलकेश मीणा को नीम का थाना पुलिस वाले दुकान से उठाकर ले गए थे और 3 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं दिखाया गया और थाने में ही रखा गया था उसके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की और उसके बाद उसको सवाई माधोपुर थाने में ले गए वहां पर भी लगातार मारपीट की गई और लगातार मारपीट करने से बलकेश मीणा की मृत्यु हो गई। बलकेश मीणा के परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पूरे गांव ने थाने को घेर लिया था तब पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा पूरे थाने को सस्पेंड किया गया था लेकिन उसके बाद में अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तब याचिकाकर्ता की तरफ से भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सीबीआई जांच की मांग की थी और हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीबीआई को निर्देश दिया कि वे पूरे प्रकरण की दोबारा निष्पक्ष जांच करें। इस आदेश से घबराकर पुलिस वालों ने रिव्यू याचिका पेश कर निवेदन किया कि जांच सीबीआई को नहीं दी जावे और राजस्थान के किसी भी बड़े अधिकारी से जांच करवा ली जाए। भंडारी ने इसका जबरदस्त विरोध किया कि रिव्यू याचिका मेंटेनेबल नहीं है। हाई कोर्ट में बहस सुनने के बाद पुलिस सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद सीबीआई दिल्ली ने इस प्रकरण में पूरी जांच की। गवाहों के दिल्ली बुलाकर बयान लिए गए और मौके की जांच पड़ताल की गई और जांच पूरी कर ली गई लेकिन राजस्थान सरकार के प्रमुख गृह सचिव अभय कुमार के द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने से सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रही है जबकि इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं है लेकिन इस कांड में 10 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है इसलिए दबाव के कारण चार्जशीट फाइल नहीं की जा रही है। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश चंद्रप्रकाश सोनगरा ने भंडारी की बहस सुनकर सरकारी वकील को निर्देश दिए कि पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट 4 सप्ताह बाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें।

सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती का रास्ता साफ

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती-2021 का रास्ता साफ करते हुए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गौरव शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए। एकलपीठ ने गत 28 मार्च को आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देते हुए अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। याचिकाओं में कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न पत्रों के अलावा बीस अन्य प्रश्न पत्रों में से दो वैकल्पिक प्रश्न पत्रों को चुनने की व्यवस्था की गई थी। आरपीएससी ने बिना बताए अभ्यर्थियों के अंकों को स्केलिंग के नाम पर कम दिए और याचिकाकर्ताओं को चयन से बाहर कर दिया।

डी.आर.ओ. सैयद इमरान अली अमरावती पहुंचे

झालावाड़, (निसं)। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में आईसीसी द्वारा नियुक्त डीआरओ सैयद इमरान अली के अमरावती पहुंचने पर अमरावती शहर और ग्रामीण अध्यक्ष ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं अमरावती डी.आर.ओ. सैयद इमरान अली ने बताया कि पहले नागपुर जॉन की मीटिंग होगी उसके बाद अमरावती शहर और ग्रामीण की मीटिंग लेकर व वहां के जिम्मेदार नेताओं से बात कर कांग्रेस चिंतन शिविर में आए प्रस्ताव को देखते हुए 50 प्रतिशत युवाओं को संगठन में मौका देने का प्रयास करेंगे।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार जितेन्द्र कुमार आत्मज प्रभूलाल जाति कुम्हार उम्र 44 वर्ष निवासी 248 पालीवाल के सामने छावनी कोटा राज. का पुत्र विशाल कुमार उर्फ बिट्टू उर्फ रफ्तार उम्र 21 वर्ष मेरे पक्षकार के कहे में नहीं है तथा उसकी गलत आदतों व गलत आचरण व नशे का आदी होने नशीली पदार्थों का धन्धा करने के कारण मेरे पक्षकार व उसकी पत्नी के साथ आये दिन मारपीट करता है, इस कारण से मेरा पक्षकार मेरे पुत्र विशाल कुमार उर्फ बिट्टू उर्फ रफ्तार को अपनी चल-अचल सम्पत्तियों से बेदखल करता है, यदि भविष्य में विशाल कुमार उर्फ बिट्टू उर्फ रफ्तार से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का संव्यवहार करता है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

भवदीय
इमामुद्दीन सब्बाग एडवोकेट, कोटा
मो. 9928257786

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम कायनात कुरैशी से बदलकर नया नाम कायनात मोहम्मद शारीक पत्नि मोहम्मद शारिक रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे। **पता-कायनात मोहम्मद शारीक पत्नि मोहम्मद शारिक मकान नं. 13 स्पेशल विज्ञान नगर, कोटा (राज.)**

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम मन्जू से बदलकर नया नाम मन्जू देवी पत्नि महिपाल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे। **पताः-मन्जू देवी पत्नि महिपाल, फ्लेट नं. 656, 6 फ्लोर, टावर-2, सुवालका रिद्धि सिद्धि रेसिडेंस, राजीव गांधी नगर विस्तार, रोड नं. 1 डकनिया स्टेशन मेन रोड, कोटा**

खोया पाया

मेरे मकान नं. 4-यू-47 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा के मूल दस्तावेज जिनमें कब्जा पत्र, आवंटन पत्र, नियमितिकरण, अदेय प्रमाण पत्र एवं निरस्तीकरण प्रमाण पत्र आदि रास्ते में कही गिर गये है। जिस किसी को मिले सूचित करें। **पता-योजना उपाध्याय पत्नि पीयूष कुमार शर्मा, म.न. 4-यू-47 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा मो. नं. 9610428080**

खोया पाया

मेरे मकान संख्या 1-ट-16 दादाबाडी का मूल कब्जा पत्र एवं इन्वेन्ट्री कही खो गई मिलने पर सम्पर्क करें। **विनोद पुरसवानी मो. 7597874329**

पीसीसी उपाध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस बून्दी में अच्छा काम कर रही है : अर्चना शर्मा

बून्दी (निसं)। लोक कल्याण की योजनाएं लोकतांत्रिक व्यव्स्था के तहत जनता तक पुहंचनी चाहिए। पूरे देश मे सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां समाज कल्याण बोर्ड संचालित है।

बून्दी में कांग्रेस संगठन बहुत मजबूत है। पीसीसी उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा के नेतृत्व मे संगठन अच्छा काम कर रहा है। समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमारा प्रयास है कि युवा वर्ग व महिलाओ का बोर्ड की योजनाओ का लाभ मिल सके इसके लिये हम जल्द नवाचार करने जा रहे है वही हमने पुरानी योजनाओ को भी आत्मसात करने का मन बना लिया है यह कहना था राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉ. अर्चना शर्मा का। शर्मा बुधवार दोपहर सर्किट हाउस मे आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी।

अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बुधवार दोपहर बून्दी पुहंचने पर पुलिस टुकडी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता मनीष मेवाडा, ब्राह्मण समाज सहित विभिन्न संगठनो सहित पार्षदों ने पुष्पगुच्छ भेट कर शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पीसीसी उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा, अरबन बैक चेयरमेन सत्येश शर्मा, बून्दी प्रधान प्रेमबाई मीणा, बून्दी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चेतराम मीणा, शैलेश सोनी, प्रेमप्रकाश एवरग्रीन, वरिष्ठ पार्षद लोकेश ठाकुर, साबिर अली, सहवरित पार्षद राजीव लोचन गौतम, बाबूलाल वर्मा, पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत, मौजूद रहे।

विभिन्न योजनाओं का लाभ दिये जाने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन दिया।

- **कांग्रेस नेता मेवाड़ा की अगुवाई में सर्किट हाउस में भव्य स्वागत हुआ**

वृद्धावस्था आश्रम आसरा का किया निरीक्षणः- सर्किट हाउस मे कांग्रेस जनो व विभिन्न संगठनो से मुलाकात के बाद समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने नैनवां रोड स्थित सुदामा सेवा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धावस्था आश्रम आसरा का निरीक्षण भी किया।

इस दौरान शर्मा ने वृद्वजनो को संस्थान द्वारा दी जा रही सुविधाओ पर खुशी जाहिर की और वृद्वजनो से आत्मीय मुलाकात करते हुए संस्थान की गतिविधियो की जानकारी ली। इस दौरान पीसीसी उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा, अरबन बैक चेयरमेन सत्येश शर्मा, बून्दी प्रधान प्रेमबाई मीणा, पार्षद शांति सोनी आदि मौजूद रहे।

इन संगठनों ने शर्मा को ज्ञापन दिये :- सर्किट हाउस मे डॉ भीमराव अंबेडकर कल्याण समिति अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा ने जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मिलने वाली सहायता राशि दिलाने, विभाग की एसएनए पोर्टल चालू करने, संयुक्त व्यापार संघ ने शहर कोतवाल सहदेव मीणा को हटाने, राजस्थान ब्रहाम्ण महासभा ने अन्य आरक्षित वर्गों के समान आर्थिक पिछड़ा वर्ग को भी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिये जाने सहित अन्य मांगों को ज्ञापन दिया।

समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने दोपहर बाद जेतसागर रोड स्थित परशुराम वाटिका मे चल रहे ट्रांसजेन्डरो के योगाभ्यास शिविर मे भाग लिया। उल्लेखनीय है कि योगाभ्यास शिविर मे प्रदेश के विभिन्न जिलो से 100 से अधिक ट्रांसजेन्डर योगाभ्यास शिविर मे बून्दी भाग लेने आये हुए हैं।

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-358 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-25.5.22

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड/आवास संख्या 791 केशवपुरा-7 योजना में आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 25.11.1982 को श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार के नाम से आवंटन किया गया था। आवंटी श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री सूरजमल वर्मा पुत्र श्री रामगोपाल वर्मा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2019 को श्रीमती द्वारका बाई पत्नी श्री सूरजमल को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता श्रीमती द्वारका बाई पत्नी श्री सूरजमल द्वारा उक्त भूखंड के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 791 योजना केशवपुरा-7 का नाम हस्तान्तरण श्रीमती द्वारका बाई पत्नी श्री सूरजमल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-1571 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-23.5.22

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना राज. टाऊनशिप पालिसी 2010 ग्राम नान्ता का भूखंड संख्या L-4 श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र भोला शंकर सैनी को आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 4.7.2016 को किया गया था। आवंटी श्री ओम प्रकाश सैनी पुत्र श्री भोला शंकर सैनी द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री मुकेश कुमार बंजारा पुत्र श्री रामस्वरुप बंजारा के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.1.2022 को श्रीमती माला जैन पत्नी जयंत कुमार जैन को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता श्रीमती माला जैन पत्नी श्री जयंत कुमार जैन के द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या L-4 योजना राज. टाऊनशिप पालिसी 2010 नान्ता का नाम हस्तान्तरण क्रेता श्रीमती माला जैन पत्नी जयंत कुमार जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2022/592 **विज्ञप्ति** दिनांक:-25.5.2022

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम मानपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना प्रोफेसर कॉलोनी खसरा नं. 231 में स्थित भूखण्ड संख्या 49 का पश्चिमी आवेदक श्री विनोद शक्तावत पुत्र श्री धर्मराज निवासी 421, शक्ति कुंज बालाकुण्ड दादाबाडी कोटा द्वारा पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्री विनोद शक्तावत पुत्र श्री धर्मराज के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2022/593 **विज्ञप्ति** दिनांक:-25.5.2022

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम मानपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना प्रोफेसर कॉलोनी खसरा नं. 231 में स्थित भूखण्ड संख्या 49 का पूर्वी आवेदक श्रीमती पल्लवी पाल पत्नि श्री विनोद शक्तावत निवासी डी-236 इन्द्रा विहार कोटा द्वारा पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्रीमती पल्लवी पाल पत्नि श्री विनोद शक्तावत के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ-11/विक्रय/1051 **विज्ञप्ति** दिनांक:-20.5.2022

न्यास कार्यालय की कोटा टायर रिपेयर्स एसोसिऐशन व्यावसायिक योजना विश्वकर्मा नगर में भूखण्ड संख्या 40-बी का आवंटन पत्र क्रमांक 146 दिनांक 19.09.2013 के द्वारा मैसर्स न्यू शक्ति टायर प्रो. श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल अजीज को किया गया था। मैसर्स न्यू शक्ति टायर प्रो. श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल अजीज द्वारा नियुक्त मुख्तारआम श्री राजेश केदावत पुत्र श्री ओमप्रकाश केदावत ने उक्त भूखण्ड का विक्रय जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2017 से श्रीमती चित्रा केदावत पत्नि श्री राजेश केदावत को कर दिया गया है। श्रीमती चित्रा केदावत पत्नि श्री राजेश केदावत ने उक्त भूखण्ड का हस्तानांतरण स्वयं के नाम करवाने हेतु ओवदन किया है अतः जिस किसी को भी उक्त भूखण्ड का हस्तानांतरण किए जाने में कोई ऐतराज हो तो अन्दर 7 दिवस में अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड का स्वामित्व हस्तानांतरण श्रीमती चित्रा केदावत पत्नि श्री राजेश केदावत के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2022/2156 दिनांक:-11.5.2022

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत् आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा श्रीरामकृष्णपुरम-ई आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 606 का आवंटन आदेश दिनांक 26.12.2001 को श्री केशव सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री मनभावन सिंह के नाम आवंटन किया गया था। श्री केशव सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री मनभावन सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड जर्ये मुख्तारआम श्री विजय कुमार पुत्र श्री भगवान दास द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2016 को श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 606 श्रीरामकृष्णपुरम-ई आवासीय योजना का नामहस्तान्तरण श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा